न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या–122 / 2016–17

सिस्टर लीला कुटुर बनाम सोसाईटी ऑफ अजम्पसन

(Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
21/5/18	**आदेश** इस वाद की कार्यवाही भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के पंत्रांक 1796 दिनांक 24.12.2016 से प्राप्त अंचल अधिकारी, पटना सदर के विविध वाद सं0 10 / 2015–16 के आधार पर आरम्भ की गयी थी। सिस्टर लीला कुटुर पिता श्री चाको, सुपीरियर ऑफ सोसाईटी ऑफ अजम्पसन, फेयर फील्ड कॉलोनी, दीघा घाट, पटना के द्वारा शपथ–पत्र के साथ अंचलाधिकारी, पटना सदर को आवेदन दिया गया कि :– (1) मौजा दीघा, खाता नं0 170 एवं 243 खेसरा नं0 3498 एवं 3497 रकवा 0.0711 एकड़ (दो कठ्ठा पांच धूर ग्यारह धूरकी) की खरीद श्रीमती लीना गोह से दिनांक 14.11.1992 के कोलकता के निबंधित केवाला से सोसाईटी ऑफ अजम्पसन के नाम पर खरीदी गई थी। (2) खरीदगी के पश्चात सोसाईटी ऑफ अजम्पसन के नाम से दाखिल खारिज होकर जमाबंदी सं0 1094 कायम की गयी तथा लगान रसीद निर्गत की गयी। (3) कोलकाता में की गयी रजिस्ट्री की अंतर राशि दिनांक 09.05.2008 को जिला अवर निबंधन कार्यालय पटना में जमा की गयी। (4) अंतर राशि जमा करने के पश्चात अंचल कार्यालय के द्वारा "सिस्टर लीला कुटुर द्वारा सोसाईटी ऑफ अजम्पसन" के नाम से लगान रसीद निर्गत की जाने लगी तथा जमाबंदी संख्या भी 1094 को बदल कर 16096 कर दिया गया। (5) आवेदिका के द्वारा इस त्रुटि को सुधार कर प्रश्नगत भूखण्ड की जमाबंदी सोसाईटी ऑफ अजम्पसन के नाम से कायम करने तथा उसी के नाम से लगान रसीद निर्गत करने का अनुरोध किया गया है। अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा सिस्टर लीला कुटुर के नाम से कायम जमाबंदी सं0 16096 को रद्द कर प्रश्नगत भूखण्ड की जमाबंदी पूर्ववत सोसाईटी ऑफ अजम्पसन के नाम से कायम करने की अनुशंसा की गयी है। आवेदन एवं शपथ–पत्र के साथ निम्न कागजात की छाया–प्रति दाखिल की गयी है।	

(1) दिनांक 14.11.1992 का कोलकाता निबंधन कार्यालय का विक्रीनामा

(2) जिला अवर निबंधक, पटना के कार्यालय में जमा की गयी, अंतर राशि का स्टाम्प

(3) पूना अजम्पसन सोसाईटी, पटना के नाम से जमाबंदी सं0 1094 पर निर्गत वर्ष 1996–97 की लगान रसीद

(4) सिस्टर लीला कुटुर द्वारा सोसाईटी ऑफ अजम्पसन की जमाबंदी सं0 16096 पर निर्गत वर्ष 2008–09 एवं 2012–13 की लगान रसीद

(5) दिनांक 03.06.2008 का आवेदन जो सिस्टर लीला कुटुर के द्वारा अंचलाधिकारी, पटना सदर को दाखिल खारिज हेतु दिया गया।

इस न्यायालय में वाद की प्रविष्टी के पश्चात सोसाईटी ऑफ अजम्पसन को नोटिस दी गयी। तामिला प्राप्त है। सोसाईटी ऑफ अजम्पसन की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि

(1) दिनांक 14.11.1992 के निबंधित केवाला से सोसाईटी ऑफ अजम्पसन पूना के नाम से प्रश्नगत भूखण्ड की खरीद की गयी। उक्त केवाला कोलकता का है। केवाला के पश्चात सोसाईटी ऑफ अजम्पसन के नाम से जमाबंदी सं0 1094 कायम की गयी तथा वर्ष 1996–97 की लगान रसीद भी निर्गत की गयी।

(2) कोलकाता निबंधन कार्यालय के केवाला के स्टाम्प शुल्क की अंतर राशि दिनांक 09.05.2008 को जिला निबंधन कार्यालय, पटना में जमा की गयी।

(3) अंतर राशि जमा किये जाने के पश्चात सिस्टर लीला कुटुर के द्वारा दिनांक 03.06.2008 को प्रश्नगत भूखण्ड का दाखिल खारिज "सोसाईटी ऑफ अपम्पसन" के नाम से करने हेतु अंचलाधिकारी, पटना सदर को आवेदन दिया गया।

(4) अंचल कार्यालय के द्वारा उक्त आवेदन के आधार पर दिनांक 20.06.2008 के शिविर न्यायालय में सिस्टर लीला कुटुर द्वारा सोसाईटी ऑफ अजम्पसन के नाम से दाखिल खारिज की स्वीकृति देते हुए जमाबंदी सं0 16096 कायम कर दी गयी।

वास्तव में सिस्टर लीला कुटुर के द्वारा दिनांक 03.06.2008 को सोसाईटी ऑफ अजम्पसन के नाम से दाखिल खारिज करने हेतु आवेदन दिया गया था, परन्तु अंचल कार्यालय से सिस्टर लीला कुटुर द्वारा सोसाईटी ऑफ अजम्पसन के नाम से जमाबंदी सं0 16096 कायम कर लगान रसीद निर्गत कर दी गयी।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा उपलब्ध कागजात के अवलोकन के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रश्नगत भूखण्ड का

केवाला दी सोसाईटी ऑफ अजम्पसन पूणे के नाम से है। पूर्व में उसी नाम से जमाबंदी सं0 1094 कायम होकर वर्ष 1996–97 की लगान रसीद भी निर्गत है। आवेदिका के द्वारा अंतर राशि जमा किए जाने के पश्चात पुनः दाखिल खारिज करने हेतु आवेदन दे दिया गया, जिसके आधार पर पुनः दाखिल खारिज कर सिस्टर लीला कुटुर द्वारा सोसाईटी ऑफ अजम्पसन के नाम से जमाबंदी सं0 16096 कायम कर दी गयी। प्रश्नगत भूखण्ड की जमाबंदी सं0 1094 पूर्व से सोसाईटी ऑफ अजम्पसन के नाम से कायम है, पुनः नई जमाबंदी खोलना न तो आवश्यक था न ही विधि सम्मत है।

अतः प्रश्नगत भूखण्ड की जमाबंदी सं0 16096 को रद्द करने का आदेश दिया जाता है। पूर्व से सोसाईटी ऑफ अजम्पसन पूणे के नाम से कायम जमाबंदी सं0 1094 यथावत रहेगी तथा उसी जमाबंदी पर लगान रसीद निर्गत की जायेगी।

आदेश की प्रति अंचलाधिकारी, पटना सदर एवं आवेदिका को दें।

लेखापित एवं संशोधित।

3/1/18

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना

3/1/18

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना